

# कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-प्रारं/नियु.प्रको./नियु-2/982/नवीन भर्ती 48000/वो-2/2022/ दिनांक:10.09.2023

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
जिला परिषद, समस्त जिले।

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय),  
प्रारम्भिक शिक्षा, समस्त जिले।

जरिये ई-मेल

**विषय:-**प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती-2022 अन्तर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित क्षेत्र में अध्यापक, लेवल-प्रथम, सामान्य शिक्षा व विशेष शिक्षा के पदों हेतु प्रोविजनल चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति तथा पदस्थापन के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, 2022 अन्तर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित क्षेत्र में अध्यापक, लेवल-प्रथम, सामान्य शिक्षा व विशेष शिक्षा के पदों हेतु विज्ञापन संख्या-12/2022 दिनांक: 16.12.2022 (सहपटित दिनांक: 19.05.2023) जारी कर क्षेत्रवार, पदवार विज्ञापन जारी किये गये, जो कि बोर्ड की वेबसाइट <https://rsmssb.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध है।

राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 89 की उपधारा 6-क के अनुसार उपधारा (2) के खण्ड (iii) में विनिर्दिष्ट पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति किसी पंचायत समिति या, यथास्थिति, जिला परिषद द्वारा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों के अनुसार, ऐसी एजेन्सी द्वारा पदों के लिए चयनित व्यक्तियों में से ऐसी रीति से की जायेगी, जैसा कि विहित की जाये।

पंचायती राज विभाग की अधिसूचना दिनांक: 15.03.2022 के द्वारा पंचायती राज नियम-1996 के नियम-2 उप नियम-(i) के खण्ड-(ii-क) में तथा पंचायती राज नियम-277 (क) में किये गये संशोधनों के क्रम में राज्य सरकार के आदेशांक: प.5(7)प्राशि/2022 जयपुर, दिनांक: 19.04.2022 के द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर को अध्यापक सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयन के प्रयोजन हेतु प्राधिकृत अभिकरण (भर्ती एजेन्सी) नियुक्त किया गया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम-1996 के नियम-277(क) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अध्यापक, लेवल-प्रथम के क्षेत्रवार/पदवार विज्ञापित पदों के विरुद्ध दस्तावेज सत्यापन एवं पात्रता जाँच हेतु सूचीबद्ध किये गये दो गुणा अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन एवं प्रारम्भिक पात्रता जाँच का कार्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा किया गया एवं शाला दर्पण पोर्टल पर रिक्रूटमेन्ट मॉड्यूल में पात्रता के सम्बन्ध में आवश्यक टिप्पणियाँ प्रविष्ट की गई।

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा उक्त सीधी भर्ती अन्तर्गत अभ्यर्थियों का चयन कर दिनांक: 31.08.2023 को परिणाम जारी किया गया एवं विभाग द्वारा आदेश दिनांक: 10.09.2023 द्वारा अभ्यर्थियों को नियुक्ति एवं पदस्थापन हेतु जिले आवण्टित किये गये। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 277(क) के उप नियम (xiii) के अनुसार संबंधित जिले की जिला स्थापना समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को इन नियमों के अधीन नियुक्ति दी जायेगी।

चयन आदेश तथा जिला आवंटन आदेश विभागीय वेबसाइट लिंक <http://educationsector.rajasthan.gov.in/content/raj/education/elementary-education/hi/home.html#> के टैब Primary and Upper Primary Teacher Recruitment 2022(RSSB) पर उपलब्ध है। आपके जिले में वर्गवार विज्ञापित पदों के अनुसार आवंटित अभ्यर्थियों के नियुक्ति तथा पदस्थापन के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें :-

1. उक्त अध्यापक सीधी भर्ती-2022 अन्तर्गत चयनित तथा आपके जिले को आवण्टित अभ्यर्थियों की सूची मय इनके आवेदन पत्र तथा दस्तावेज जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा से प्राप्त कर नियुक्ति एवं पदस्थापन की प्रक्रिया की निर्धारित कलेण्डर के अनुसार समयबद्ध क्रियान्विति करने के लिए कार्य योजना तैयार करें।
2. अध्यापक, लेवल-प्रथम, सामान्य शिक्षा व विशेष शिक्षा के पदों पर जारी चयन आदेश एवं जिला आवंटन आदेश विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड कर प्रत्येक पद के लिये अलग-अलग पंजिकाएं संधारित करें।

3. अभ्यर्थियों की पात्रता जांच का कार्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर किया जाये। अन्तिम पात्रता जांच हेतु आवंटित अभ्यर्थियों को व्यक्तिशः उपरिथत होने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी अभ्यर्थी के दरतावेजों में भिन्नता प्रकट हो रही है अथवा जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा उरा अभ्यर्थी से सम्बन्धित उपलब्ध करवाये गये दरतावेजों से पात्रता जांच नहीं हो पा रही है, तो इस स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी को सूचित करते हुए व्यक्तिशः उपरिथत होने हेतु पाबन्द किया जा सकता है।
4. उक्त अध्यापक सीधी भर्ती, 2022 अन्तर्गत अभ्यर्थियों की पात्रता के सम्बन्ध में विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश संलग्न किये जा रहे हैं। विज्ञप्ति के प्रावधानों एवं भर्ती के सम्बन्ध में जारी विभागीय दिशा-निर्देशों तथा राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अभ्यर्थियों की नियुक्ति एवं पदस्थापन की कार्यवाही की जाये।
5. जिन अभ्यर्थियों की प्रशैक्षिक योग्यता (डी.एल.एड.) राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों की है, निदेशालय स्तर से उनकी डिग्रियों की जाँच करवाये जाने के उपरान्त जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार नियुक्ति एवं पदस्थापन की कार्यवाही की जाये। इस सम्बन्ध में निदेशालय द्वारा जाँच उपरान्त आपको सूचित किया जायेगा, किन्तु उन्हें काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल किया जाना है।
6. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के पत्रांक: प.14(107)(2)RSSB/अर्थना/प्रा.शि./अध्यापक L-1/पात्रता जा./भर्ती/2022/2480 दिनांक: 01.09.2023 के क्रम में बी.एड.(बाल विकास) डिग्री धारक एवं ग्लोकल विश्वविद्यालय से प्राप्त डिप्लोमा धारक अभ्यर्थियों का चयन होने की स्थिति में उन्हें काउंसलिंग में सम्मिलित किया जाना है, परन्तु आगामी आदेश तक उनके पदस्थापन आदेश जारी नहीं किये जाने हैं।
7. अभ्यर्थी द्वारा जिस प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया गया है, उस प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय की उस वर्ष एन.सी.टी.ई. से मान्यता की पुष्टि करवाये जाने के उपरान्त ही नियुक्ति एवं पदस्थापन की कार्यवाही की जाये। अन्य राज्यों की प्रशैक्षिक योग्यता होने पर बिन्दु संख्या-05 के अनुसार कार्यवाही की जाये।
8. जिन अभ्यर्थियों का उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे के पदों पर चयन हुआ है, उनके खेल प्रमाण-पत्रों का निदेशालय स्तर से वेरिफिकेशन करवाया जायेगा। अतः इस सम्बन्ध में निदेशालय से वेरिफिकेशन रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त ही तदनुसार नियुक्ति एवं पदस्थापन की कार्यवाही की जाये, किन्तु उन्हें काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल किया जाना है।
9. आपके जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) से सम्पर्क स्थापित कर मेडिकल बोर्ड का गठन करावे तथा उक्त भर्ती अन्तर्गत दिव्यांग श्रेणी के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों को मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपरिथत होने हेतु पाबन्द किया जावे एवं अभ्यर्थी की दिव्यांगता की जाँच मेडिकल बोर्ड के माध्यम से करवाये जाने के उपरान्त ही नियुक्ति/पदस्थापन की कार्यवाही की जाये, किन्तु उन्हें काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल किया जाना है। पूर्ण रूप से नेत्रहीन/दृष्टिहीन अभ्यर्थियों की मेडिकल बोर्ड से जाँच करवाने की आवश्यकता नहीं है।
10. राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट), 2021/2022 के लेवल-प्रथम में प्राप्तांकों का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर की वेबसाइट से मिलान किया जावे।
11. आरक्षित वर्ग में चयनित अभ्यर्थी यदि राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के हैं अथवा अन्य राज्यों से विवाह उपरान्त जो महिलाएं राजस्थान में प्रवासित हुई हैं, उनको आरक्षित पदों पर नियुक्ति देय नहीं है, अतः इसके सम्बन्ध में पूर्ण पुष्टि कर लेवें एवं इस हेतु अभ्यर्थी का मुख्य चयन वर्ग (सलेक्शन कैटेगरी) के अनुसार मिलान किया जावे।
12. पंचायती राज नियम-1996 के नियम-267 के प्रावधानों के अनुसार अभ्यर्थी से चरित्र प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है एवं नियम-268 के अनुसार सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का अच्छे मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य का और सेवा के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का दक्षता पूर्ण पालन करने में सम्भाव्य बाधा डालने वाले किसी भी शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए और नियुक्ति के लिए चयन हो जाने पर सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram  
Designation: Director  
Date: 2023.09.10 17:00:15 IST  
Reason: Approved

13. नियुक्ति पर कार्यग्रहण से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें। इसके अभाव में विरही भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
14. जिन अभ्यर्थियों की पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नहीं पायी जाए, उनके विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक: 04.12.2019 एवं 26.10.2021 के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।
15. किसी अभ्यर्थी को पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नहीं पाये जाने अथवा पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के बिना कार्यग्रहण करवाया जाता है, तो सम्बन्धित संस्था प्रधान के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावे।
16. सम्बन्धित संस्था प्रधान द्वारा नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक: एफ.7(1)डीओपी/ए-11/95 दिनांक: 08.04.2003 तथा समय-समय जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी से दिनांक: 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 50/-रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्राप्त किया जावे।
17. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक: प.7(3)कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक: 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने सम्बन्धी वचनबद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।
18. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक: पं.7(13)कार्मिक/क-2/23 दिनांक: 11.05.2023 के अनुसार भारत के संविधान के प्रति निष्ठा एवं राष्ट्र की प्रभुता, अखण्डता को अक्षुण्ण बनाये रखने तथा पद के कर्तव्यों को राजनिष्ठा, ईमानदारी एवं निष्पक्षता से किये जाने सम्बन्धी शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में प्राप्त किया जाकर अभ्यर्थी के सेवा अभिलेख में संकलित किया जावे।
19. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व-घोषणा पत्र प्राप्त किया जावे।
20. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व समस्त अभ्यर्थियों से 50/-रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता व प्रमाण-पत्र वैध व मान्य नहीं पाये गये, तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में तत्काल नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी तथा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावे।
21. नियुक्ति आदेश में इस तथ्य का स्पष्टतः अंकन किया जावे कि किस अभ्यर्थी का चयन किस वर्ग के निर्धारित आरक्षण के प्रति किया गया है, जैसा कि चयन व जिला आवण्टन आदेश में संबंधित अभ्यर्थी के नाम के सम्मुख दर्शाया गया है। किसी भी विपरीत परिस्थिति में समस्त जिम्मेवारी आप स्वयं की होगी।
22. नव चयनित अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति/पदस्थापन के संबंध में इस कार्यालय के समसंख्यक निर्देश पत्र दिनांक : 04.09.2023 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना करते हुए काउंसिलिंग/पदस्थापन संबंधी कार्यवाही सम्पादित किये जाने की सुनिश्चितता करावें।
23. नव चयनित अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति/पदस्थापन ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में ही किया जाना है।
24. चयनित अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण-पत्र अथवा अन्य प्रमाण-पत्र, जो उसकी पात्रता निर्धारण हेतु वांछनीय हैं, के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर उनकी जाँच अनिवार्य रूप से की जाए।
25. राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक: प.7(1)कार्मिक/क-2/2019 जयपुर, दिनांक: 18.10.2021 में वर्णित प्रावधानों की पालना करते हुए नवचयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति एवं पदस्थापन सम्बन्धी कार्यवाही की जाये।

26. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद द्वारा पात्र अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन हेतु आयोज्य काउंसलिंग की सूचना के सम्बन्ध में राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में विज्ञापित प्रकाशित करवाई जावे।
27. नियुक्ति आदेश में कार्यग्रहण की अन्तिम तिथि का स्पष्ट उल्लेख किया जाये तथा कार्यग्रहण हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने पर ऐसे अभ्यर्थी के नियुक्ति आदेश तत्काल निरस्त कर दिये जाये।
28. कार्यग्रहण की अन्तिम तिथि में वृद्धि के सम्बन्ध में कार्गिक विभाग के परिपत्र क्रमांक: प. 8(3)कार्गिक/क-2/73 पार्ट जयपुर, दिनांक: 24.03.2022 के अनुसार कार्यवाही करते हुए जिला स्थापना समिति के अनुमोदनोपरान्त ही कार्यग्रहण में वृद्धि का आदेश जारी किया जावे।
29. नवचयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के माध्यम से ही विद्यालय आवंटित कर नियुक्तियाँ प्रदान की जावे, किसी भी अभ्यर्थी को ऑनलाइन के माध्यम से कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे, सभी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन कार्यग्रहण करवाया जावे एवं काउंसलिंग में आवंटित विद्यालय में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन नहीं किया जावे।
30. यदि किसी कारणवश जिला परिषद की स्थापना समिति द्वारा प्रस्तावों का अनुमोदन नहीं किये जाने की स्थिति उत्पन्न हो तो, राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी पत्रांक: प.2(5)शिक्षा-1/प्राशि/2003 दिनांक: 31.01.2017 के विन्दु संख्या-02 सी(i) में प्रदत्त निर्देशों के अनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद का यह दायित्व है कि उनके द्वारा प्रस्ताव राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु भिजवाये जायें।
31. उक्त अध्यापक सीधी भर्ती, 2022 अन्तर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित क्षेत्र में अध्यापक, लेवल-प्रथम, सामान्य शिक्षा/विशेष शिक्षा के पदों पर प्रोविजनल चयनित अभ्यर्थियों की उपर्युक्त उल्लिखित दिशा-निर्देशों की पालना करते हुये नियुक्ति एवं पदस्थापन के सम्बन्ध में अग्रांकित कलेण्डर के अनुसार कार्यवाही की जावे :-

क्र.सं.	विवरण	निर्धारित तिथि
01	सम्बन्धित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद द्वारा मेरिट से प्राप्त नवचयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का नियमों एवं विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार परीक्षण उपरान्त पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना।	14.09.2023 से 16.09.2023
02	काउंसलिंग/पदस्थापन हेतु उपलब्ध अभ्यर्थियों की अन्तिम सूची तैयार करना।	16.09.2023
03	सम्बन्धित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद द्वारा पात्र अभ्यर्थियों की सूची काउंसलिंग हेतु सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा को उपलब्ध कराना।	17.09.2023
04	जिशिअ (मु.), प्राशि द्वारा विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार शाला दर्पण पोर्टल पर जिले की लॉगिन पर उपलब्ध अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार काउंसलिंग हेतु रिक्त पदों को अपलोड करना।	18.09.2023
05	जिशिअ (मु.), प्राशि द्वारा विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार काउंसलिंग के लिये रिक्त पदों एवं अभ्यर्थियों की वरीयता सूचियों का प्रकाशन किया जाना।	19.09.2023
06	जिशिअ (मु.), प्राशि द्वारा विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थियों से विद्यालयों का विकल्प भरवाया जाकर विद्यालय आवंटन।	20.09.2023 से 22.09.2023 तक
07	जिला स्थापना समिति से अनुमोदन उपरान्त नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी करना।	23.09.2023 / 26.09.2023

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram  
Designation: Director  
Date: 2023.09.10 17:00:15 IST  
Reason: Approved